

श्रीमान् अंचलाधिकारी

कोडरमा अंचल ।

विषय:- भूमि निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रतिवेदन देने के संबंध में।

K. P. D. A.
महाशय
16/11/22

सविनय नम्र निवेदन है कि मैं नवलेश कुमार पाण्डेय उर्फ दिलेश पाण्डेय
ग्राम रूपै पो रूपै थाना रूपै
जिला जवाहर का निवासी हूँ मुझे निम्न वर्णित

भूमि का विक्री करना है :-

1. मौजा गुमा
2. थाना दिलेश
3. थाना नं० 12
4. खाता नं० 108
5. प्लॉट नं० 1638
6. रकबा 250
7. भूमि का किस्म रूपै
8. अद्यतन रसिद नं० 0098759813 वर्ष 2022/23
9. दा० खारजि वाद संख्या 2385 वर्ष 2022/2023

अतः श्रीमान् से आग्रह है कि उक्त वर्णित भूमि में निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रमाण पत्र देने की कृपा करें इसके लिए मैं श्रीमान का सदा अभारी रहूँगा।

विश्वासभाजन

Nawlesh Kumar Pandey

रूपै
15-267
3

न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा


भूमि सत्यापन अभिलेख सं० 259/2022

आवेदक नवलेश कुमार पाण्डेय उर्फ निलेश पाण्डेय पिता सुरेश पाण्डेय, साकिन-रूपो पोस्ट-रूपो, थाना-रूपो, जिला-नवादा (बिहार) द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है:-

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	किस्म
गुमो	12	108	1638	02 डी०	रैयती

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराए एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इस्तहार निर्गत करे।

अभिलेख दिनांक 12/11/2022 को प्रस्तुत करें।



अंचल अधिकारी,
कोडरमा

अभिलेख उपस्थापित।

आम इस्तहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-गुमो, थाना नं०-12, खाता सं०-108, प्लॉट सं०-1638, रकवा-02 डी० भूमि नवलेश कुमार पाण्डेय उर्फ निलेश पाण्डेय पिता सुरेश पाण्डेय के नाम से पंजी-II के पृष्ठ सं०-36 भाग सं०-72 पर जमाबन्दी दर्ज है। प्राधिकार क्षेत्र में दा० खा० वाद सं०-2385/2022-23 दर्ज है। उक्त भूमि केवाला सं०-5719 दिनांक-23.11.2013 द्वारा प्राप्त है। भूमि रैयती खाते की है। लगान रसीद वर्ष-2022-23 तक निर्गत है। शपथ पत्र सं०-02 दिनांक-16.11.2022 (नोटिस पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है। मौजा-गुमो, थाना नं०-12, खाता सं०-108, प्लॉट सं०-1638, रकवा-02 डी० भूमि निबंधन हेतु स्वीकृति दी जा सकती है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है कि मौजा-गुमो, थाना नं०-12, खाता सं०-108, प्लॉट सं०-1638, रकवा-02 डी० भूमि निबंधन योग्य है। यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts 1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामांतरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय का सुरक्षित रखेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधि सम्मत निर्गम लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।


अंचल अधिकारी,
कोडरमा

05.11.2022

12.11.2022

17.11.2022